भारत पाँच रुपये | भारत पाँच रुपये | भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES | भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES

32

न्यायालय समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प-भोपाल म.प्र.

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2018/2085

प्र0कं0......./निगरानी/17-18

01. **श्रीमती दीपा गुप्ता** पत्नी श्री हरिमोहन गुप्ता
आयु वयस्क निवासी-बी-22, 74,बंगलो
साऊथ टी.टी. नगर भोपाल.

02. **जागरण सोशल बेलफेयर सोसायटी**
द्वारा हरमिोहन गुप्ता आ. स्वर्गीय
श्री गुरुदेव गुप्ता निवासी 33, जागरण
भवन प्रेस काम्पलेक्स जोन-1 एम.पी.
नगर भोपाल. ....**आवेदकगण**

आज दिनांक 26/3/18 को कैम्प में अभिभाषक श्री सी.एम. विश्वकर्मा द्वारा प्रस्तुत
26/3/18

विरुद्ध

01. म.प्र. शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) रा.प.टी.टी. नगर वृत भोपाल.

02. तहसीलदार राज.परि.टी.टी. नगर वृत भोपाल.

03. राजस्व निरीक्षक ग्राम चन्दनपुरा तहसील
रा.प.टी.टी.नगर वृत भोपाल. ....**अनावेदकगण**

:: निगरानी अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 ::

महोदय,

सेवा में यह निगरानी श्रीमान् तहसीलदार द्वारा प्र.कं. 11/अ-12/17-18 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.01.2018 एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमाकंन कार्यवाही दिनांक 07.03.2018 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की जा रही हैं ।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी /भोपाल /भूरा/18/2085

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-18	आवेदक अधिवक्ता श्री सी0एम0विश्वकर्मा द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । राजस्व निरीक्षक राजधानी परियोजना टी0टी0नगर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-3-18 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर दो स्थायी सीमा चिन्ह उपलब्ध होने से ईटीएस मशीन द्वारा उक्त बिन्दुओं को आधार मानकर अन्य बिन्दु कायम करने में असुविधा होने के कारण जी0पी0एस0 मशीन उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की गई है, उक्त प्रक्रिया से आवेदक के हित कैसे प्रभावित हो रहे हैं, आवेदक यह स्पष्ट नहीं कर सका है, इसलिये राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	